भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 535

जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

परित्यक्त कोयला खदानों का पुनरूद्धार

535. श्री के. सी. वेणुगोपाल:
एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन बंद और परित्यक्त कोयला खदानों की राज्य-वार संख्या कितनी है, जिनका वर्ष 2022 के खदान समापन दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य भौतिक और जैविक पारिस्थितिक पुनरुद्धार नहीं किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन परित्यक्त खदानों में और इनके आसपास हुई घातक दुर्घटनाओं, भूमि धंसाव और भूमिगत आग की कितनी घटनाएँ रिपोर्ट की गई हैं; और

(ग) व्यापक रूप से हो रहे अवैध कोयला खनन और चोरी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा की गई विशिष्ट कार्रवाइयों का राज्य-बार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) : कुल 147 खानों [वर्ष 2009 से पूर्व की 88 खानें और वर्ष 2009 के बाद की 59 खानों] को परित्यक्त, बंद या समाप्त कोयला खानों के रूप में चिह्नित किया गया है। राज्य-वार विवरण इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	राज्य	परित्यक्त, बंद या समाप्त कोयला खानों की संख्या
1	असम	06
2	छत्तीसगढ़	31
3	झारखंड	22
4	मध्य प्रदेश	61

5	महाराष्ट्र	8
6	ओडिशा	5
7	तेलंगाना	11
8	पश्चिम बंगाल	3
	कुल	**147**

खान मालिकों को अनुमोदित खान बंद करने की योजना के अनुसार तकनीकी और जैविक पुनरूद्धार करना आवश्यक है। अब तक, 43 खानों को बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार वैज्ञानिक रूप से बंद कर दिया गया है।

(ख) : पिछले तीन वर्षों के दौरान परित्यक्त खानों में और उसके आस-पास कोई घातक दुर्घटना, भूमि धंसने या भूमिगत आग लगने की कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई है।

(ग) : कानून और व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण, अवैज्ञानिक खनन और कोयले की चोरी की रोकथाम मुख्य रूप से राज्य/जिला प्रशासन के पास निहित है और एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के अनुसार अवैध खनन अथवा चोरी को रोकने के लिए अधिकांश शक्तियां संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारियों को प्रदत्त हैं।

साथ ही, भारत सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं -

1. सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए वर्ष 2018 में "खनन प्रहरी" नामक एक मोबाइल ऐप और एक वेब ऐप कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएसएमएस) के रूप में अवैध खनन और कोयला चोरी के लिए एक नागरिक-आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली प्रारंभ की, ताकि इस पर उपयुक्त कार्रवाई की जा सके।
2. कोयला मंत्रालय ने दिनांक 21.11.2025 और दिनांक 01.07.2026 को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(4) (अवैध गतिविधि को करने या सुविधाजनक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों, यंत्रों, वाहनों या किसी अन्य वस्तु को जब्त करने के लिए), धारा 22 (अपराधों का संज्ञान), धारा 24 (प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति) और धारा 23ख (तलाशी की शक्ति) के तहत अधिसूचनाएं जारी की हैं। इन अधिसूचनाओं के माध्यम से, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों के नामित अधिकारियों के साथ-साथ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के अधिकारियों को सशक्त बनाया गया है।
3. सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने राज्य पुलिस और सीआईएसएफ सुरक्षा इकाइयों के समन्वय से अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए भौतिक सुरक्षा, प्रौद्योगिकीय निगरानी, आसूचना एकत्र करने और प्रवर्तन कार्रवाइयों को शामिल करते हुए एक बहु-स्तरीय तंत्र

संस्थापित किया है। कोल इंडिया के सुरक्षा कार्मिकों द्वारा छापे मारे जाते हैं और संबंधित राज्य सरकार के कानून और व्यवस्था प्राधिकारियों के साथ संयुक्त छापे मारे जाते हैं। सीआईएल की सहायक कंपनियों का प्रबंधन रिपोर्ट किए गए अवैध खनन के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराता है। राज्य/जिला प्रशासन दर्ज एफआईआर के तहत आगे की कार्रवाई करता है।

4. उपर्युक्त के अलावा, कोयला कंपनियों ने कोयले के अवैध खनन को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं -

(i) इन क्षेत्रों में पहुंच और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए परित्यक्त खानों के मुहाने पर कंक्रीट की दीवारें खड़ी की गई हैं।

(ii) सुरक्षा कार्मिकों और संबंधित राज्य सरकार के कानून एवं व्यवस्था प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से औचक छापे/जांच की जा रही है।

(iii) ओवरबर्डन की डम्पिंग आउटक्रॉप क्षेत्रों में की जा रही है।

(iv) संवेदनशील स्थानों पर जांच चौकियों की स्थापना।

(v) सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए मौजूदा सुरक्षा/सीआईएसएफ कार्मिकों का प्रशिक्षण, पुनश्चर्या प्रशिक्षण और सुरक्षा क्षेत्र में नए भर्ती किए गए लोगों का बुनियादी प्रशिक्षण;

(vi) राज्य प्राधिकारियों के साथ गहन संपर्क बनाए रखना।

(vii) अवैध खनन के विभिन्न पहलुओं की निगरानी करने के लिए सीआईएल की कुछ सहायक कंपनियों में विभिन्न स्तरों (ब्लॉक स्तर, उप-मंडल स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर) पर समिति/कार्य बल का गठन किया गया है।

(viii) कोयला भंडारों पर बाड़ लगाकर, उचित रोशनी और चौबीसों घंटे पहरा देकर सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया है।
